न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्याः– 35/प्रा0पत्र/2019

1. रूकमा उर्फ धन्नी बाई पत्नी स्व0 श्री रामसुखा जाति तेली निवासी खेरखटा, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थीयां

बनाम

1. बरधा वल्द रामसुख जाति तेली निवासी खेरखटा
2. उदयराम आ0 छोटूलाल जाति तेली निवासी खेरखटा
3. रोडी बाई पुत्री छोटूलाल पत्नी छोटू जाति तेली निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर, जिला–भीलवाडा।
4. एजन बेवा छोटूलाल जाति तेली निवासी खेरखटा
5. नन्दलाल पिता रामपाल जाति तेली निवासी खेरखटा
6. रामदेव आ0 रामपाल जाति तेली निवासी खेरखटा
7. नन्दकंवरी पुत्री रामपाल पत्नी श्यामलाल जाति तेली निवासी खेरखटा हाल निवासी शंकरगढ जिला–भीलवाडा
8. उदी पुत्री रामपाल पत्नी राजूलाल जाति तेली निवासी खेरखटा हाल निवासी शंकरगढ जिला–भीलवाडा
9. जनता पुत्री रामपाल पत्नी रामप्रसाद जाति तेली निवासी खेरखटा हाल निवासी उणा तहसील जहाजपुर, जिला–भीलवाडा
10. रामराय आ0 रामलाल जाति तेली निवासी खेरखटा
11. मांगी बैवा रामलाल जाति तेली निवासी खेरखटा
12. छीतर आ0 रामकिशन जाति तेली निवासी खेरखटा
13. रोडू आ0 रामचन्द्र जाति तेली निवासी खेरखटा
14. घीस्या आ0 कंवरा जाति तेली निवासी खेरखटा
15. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री अनिल गुर्जर
अप्रार्थी – महेश नामा

निर्णय दिनांक :– 05/08/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 256 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 257 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 258 रकबा 17 बीघा, खसरा संख्या 325 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 328 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 329 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 330 रकबा 7 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

रूकमा बाई

गे0मू0चाह0, खसरा संख्या 331 रकबा 7 बिस्वा गे0मु0बाडा, खसरा संख्या 332 रकबा 1 बीघा बिस्वा, खसरा संख्या 335 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 336 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 340 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 342 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 351 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 360 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 361 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 396 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 397 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 407 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 540 रकबा 2 बिस्वा गे0मू0चाह0, खसरा संख्या 541 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 5442 रकबा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 543 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 544 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 545 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 546 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 547 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 548 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 549 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 551 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 31 कुल रकबा 59 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम खेरखटा पटवार क्षेत्र खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 की खतोनी संख्या 52 में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीयां का नाम धन्नी बैवा रामसुखा दर्ज है जो अशुद्व एवं गलत है जबकि वास्तविक रूप से प्रार्थीयां का नाम रूकमा बाई है। प्रार्थीयां को प्रार्थीयां के घर वाले प्रेम से गांव की बोलचाल भाषा में धन्नी भी बोलते थे इसी कारण त्रुटिवश रूकमा के स्थान पर धन्नी दर्ज हो गया है। उक्त इन्द्राज गलत व अशुद्व है जिसको शुद्व किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीयां के सभी सरकारी दस्तावेजात जिनमें फोटो पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, जोबकार्ड, भामाशाह कार्ड, निर्वाचन नियमावली, आधार कार्ड व प्रार्थीयां रूकमा बाई ही दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकोर्ड यानि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीयां का नाम धन्नी दर्ज कर दिया गया है जो राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश हुआ है। कानूनन राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज करने से पूर्व राजस्व कर्मचारियों को मजबे आम में पूछताछ करनी चाहिये व प्रार्थीयां को भी सुना जाना चाहिये लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीयां को सुने बिना ही प्रार्थीयां का नाम रूकमा बाई के स्थान धन्नी बाई दर्ज कर दिया गया है उक्त इन्द्राज प्रार्थीयां के हितों के विपरीत है। प्रार्थीयां के सभी दस्तावेजात में नाम रूकमा बाई होने से एवं राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीयां का नाम धन्नी बाई अंकित होने से प्रार्थीयां उक्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि पर दी जा रही सुविधाओं का लाभ नही उठा पा रही है और नाहि भूमि पर बैक से के0सी0सी0 व ऋण वगेरा ले पा रही है। क्योकि जब तक पहचान के दस्तावेजात व राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीयां का नाम एक नही होगा तब तक प्रार्थीयां को किसी भी योजना का कोई लाभ नही मिल पायेगा और नाहि लाभ दिया जा रहा है। प्रार्थीयां के दो नाम यानि राजस्व रिकोर्ड में धन्नी बाई दर्ज होने व अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों में रूकमा बाई दर्ज होने से प्रार्थीयां किसी भी योजना का लाभ नही उठा पा रही है जिससे प्रार्थीयां को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थीयां ग्रामीण प्रवेश की वृद्व व कमजोर महिला है जो कानूनी पेचेदगियों को नही समझती है। दिनांक 10.03.2019 को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर बैंक से ऋण लेने हेतु प्रार्थीयां बैक व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने गई तो अपने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

दस्तावेजात बैक में पेश किये तो बैंक मेनेजर ने प्रार्थीयां को राजस्व रिकोर्ड व पहचान के अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीयां का नाम अलग-अलग होने से ऋण देने से मना कर दिया है व भूमि को भारग्रस्त करने से इन्कार कर दिया है और प्रार्थीयां से नाम दुरूस्त करवाकर लाने की हिदायत दी तब प्रार्थीयां ने तहसीलदार हिण्डोली के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीयां का नाम सही दर्ज करने का अनुरोध किया लेकिन तहसीलदार साहब ने नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया और कहां कि इन्द्राज दुरूस्ती का अधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय से आदेश लाये बिना हम उक्त नाम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त नही कर सकते। तहसीलदार साहब द्वारा दिनांक 12.03.2018 को इन्द्राज दुरूस्त कर देने से इन्कार कर देने से प्रार्थीयां को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण उत्पन्न हुआ है। श्रीमान को लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर की हैसियत से इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खेरखटा पटवार क्षेत्र खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो कुल किता 31 कुल रकबा 59 बीघा 18 बिस्वा ग्राम खेरखटा पटवार क्षेत्र खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में प्रार्थीयां का नाम के इन्द्राज को दुरूस्त कर धन्नी के स्थान पर रूकमा दर्ज किये जाने की (घोंषणा) आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 14 की ओर से कोई जबाव पेश नही करने से जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 15 पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 रेकार्ड से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 7 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 व 9 कानूनी बिन्दु है। वादिया रूकमा उर्फ धन्नी स्व0 रामसुखा वादग्रस्त खाता संख्या 52 किता 31 रकबा 59.18 ग्राम खेरखटा में स्वयं के शपथ पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड व राशन कार्ड में नाम रूकमा दर्ज है। अतः रूकमा उर्फ धन्नी बाई दर्ज किया जाने में आपत्ति नही है। जवाब सादर पेश है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीयां की बहस सुनी। वकील प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीयां का सही नाम रूकमा बैवा रामसुखा है, जो कि भूमि खाता नम्बर 50 सम्वत 2072 से 2075 ग्राम खेरखटा धन्नी बैवा रामसुखा दर्ज है, जो कि अशुद्व है, जिसे सही कर धन्नी के स्थान पर रूकमा शुद्व दर्ज किया जावें। इस हेतु प्रार्थीयां ने स्वयं का शपथ पत्र, आधार कार्ड नम्बर 621510216129, परिवार राशन कार्ड नम्बर 0059, भामाशाह कार्ड नम्बर VHRRCRN, बैक खाता डायरी बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा बसोली खाता नम्बर 41770100001708, कार्यालय ग्राम पंचायत बसोली से जारी प्रमाण पत्र दिनांक 07.09.2018 पेश किये है जिनमें प्रार्थीयां का सही नाम रूकमा पत्नी रामसुख कोम तेली दर्ज होना अंकित है।

वकील प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

प्रार्थीयां का नाम खाता संख्या 52 ग्राम खेरखटा में नाम धन्नी बैवा रामसुखा दर्ज है, जिसे विलोपित कर प्रार्थीयां का सही नाम रूकमा उर्फ धन्नी बाई पत्नी रामसुख कोम तेली दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयां स्वीकार किया जाकर भूमि नया खाता संख्या 52 पुराना 54 जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 वाके ग्राम खेरखटा पं0म0 खेरखटा में दर्ज प्रार्थीयां के नाम धन्नी बैवा रामसुखा के अंकन को विलोपित कर सही नाम रूकमा उर्फ धन्नी पत्नी रामसुख कोम तेली राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)
हिण्डोली